संख्या-39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18

प्रेषक,

गया प्रसाद,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य पोषण मिशन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2019

विषय : पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु गठित स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तथा ब्लाक व जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु पदों का सृजन एवं चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-810/रा0पो0मि0/62-2018/2018-19 दिनांक 28.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पोषण अभियान के अन्तर्गत स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तथा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु स्वीकृत मानव संसाधन के पदों को भरे जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-एनएनएम/7/ 2018-डब्लूबीपी दिनांक 18.12.2017 एवं दिनांक 26.02.2018 के क्रम में पोषण अभियान की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट एवं जनपद तथा ब्लाक स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रतिनियुक्ति /आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले अधिकारियों/कर्मियों के पदों का सृजन, टी0ओ0आर0 एवं एस0पी0एम0यू0 के गठन के साथ ही साथ चयन हेतु विज्ञापन हेतु अनुमोदन निम्नानुसार उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अ- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट हेतु पदों की स्वीकृति

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद की चयन प्रणाली	वेतन/मानदेय (प्रति माह)
1	2	3	4	5
1	राज्य परियोजना निदेशक	1	सरकार	सरकार द्वारा
2	संयुक्त परियेजना समन्वयक	10 जनपदों पर एक पद (कम से कम 1 प्रति प्रदेश) कुल 7	प्रतिनियुक्ति	लगभग 1,00,000 प्रति-माह अधिकारी के स्तर के अनुसार
3	विशेषज्ञ पद 3.1-प्लानिंग, मानीटरिंग एवं इवैल्यूएशन-01 पद। 3.2- हेल्थ तथा न्यूट्रीशन-01 पद। 3.3-फाइनेंशियल मैंनेजमेन्ट-01 पद। 3.4-कैपेसिटी बिल्डिंग तथा बिहेवियर चेन्ज कम्प्यूनीकेशन-01 पद।	5	आउटसोर्सिंग	रू0 60,000 प्रति-माह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	3.5- प्रोक्योरमेन्ट-01 पद।			
4	लेखाकार	10 जनपदों पर एक पद (कम से कम 1 प्रति प्रदेश) कुल 7	आउटसोर्सिंग	रू0 30,000 प्रति-माह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।
5	प्रोजेक्ट एसोसिएट	10 जनपदों पर एक पद (कम से कम 1 प्रति प्रदेश) कुल 7	आउटसोर्सिंग	रू0 25,000 प्रति-माह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।
6	सेक्रेटरियल असिस्टेन्ट/डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	2	आउटसोर्सिंग	रू0 15,000 प्रति-माह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।
7	पत्रवाहक/चपरासी	2	आउटसोर्सिंग	रू0 8,000 प्रति- माह अथवा राज्य सरकार के मजदूरी अधिनियम की सीमा तक।

<u>ब- जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु पदों की स्वीकृति</u>

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद की चयन प्रणाली	वेतन/मानदेय (प्रति माह)
1	डिस्ट्रिक्ट को-आर्डीनेटर	1 पद प्रति जनपद	आउटसोर्सिंग	रू0 30,000 प्रतिमाह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।
2	डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट	1 पद प्रति जनपद	आउटसोर्सिंग	रू0 18,000 प्रतिमाह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।

<u>स- ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु पदों की स्वीकृति</u>

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद की चयन प्रणाली	वेतन/मानदेय (प्रति माह)
1	ब्लाक को-आर्डीनेटर	1 पद प्रति ब्लाक	आउटसोर्सिंग	रू0 20,000 प्रतिमाह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।
2	ब्लाक प्रोजेक्ट एसोसिएट	1 पद प्रति ब्लाक	आउटसोर्सिंग	रू0 15,000 प्रतिमाह, परफॉरमेन्स के आधार पर 3 प्रतिशत् की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि।

<u>3- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट</u>

राज्य परियोजना निदेशक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के क्रियान्यवन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद स्वीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या-1462/60-2-18-2/1(41)2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा राज्य पोषण मिशन के महानिदेशक को स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर नामित किया गया है।

संयुक्त परियोजना समन्वयक

भारत सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार प्रति 10 जनपद के आधार पर 01 संयुक्त परियोजना समन्वयक (ज्वाइंट प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर) के पद की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 75 जनपद प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 07 संयुक्त परियोजना समन्वयक के पद की स्थिति होती है। इन पदों को ग्रेड पे रू0 6600/7600 में कार्यरत स्थायी अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने के निर्देश हैं।

प्रदेश में उक्त कुल 07 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश हैं तथा पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु राज्य पोषण मिशन से सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को पत्र के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया तथा व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिया गया, परन्तु अन्तिम तिथि दिनांक 20.08.2018 तक किसी भी विभाग से कोई प्रार्थना-पत्र अग्रसारित होकर राज्य पोषण मिशन में प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त स्थिति से भारत सरकार को अवगत कराते हुए राज्य सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों को संयुक्त परियोजना समन्वयक के पदों पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। भारत सरकार के पत्र संख्या-पी0ए0/60/2018-सी0पी0एम0यू0 दिनांक 18.11.2018 द्वारा यह टिप्पणी उल्लिखित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है कि :-

"Regarding criteria for engagement of retired officers on contract basis it is conveyed that the State Government may decide this keeping in view the level of JPC, responsibilities and duties as well as any existing guidelines of State Government for engagement of retired employees, if any."

भारत सरकार के पत्र संख्या-पी0ए0/60/2018-सी0पी0एम0यू0 दिनांक 31.12.2018 में उल्लेख किया गया है कि "यदि राज्य सरकार में तैनात नियमित अधिकारी जे0पी0सी0 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध नहीं है, तो सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी अथवा सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों को संयुक्त परियोजना समन्वयक (जे0पी0सी0) के पद पर अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने की सलाह दी गयी है।"

प्रदेश में पोषण अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु संयुक्त परियोजना समन्वयक (ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर) के पदों को भरा जाना आवश्यक है। अतएव राज्य सरकार की सेवा से ग्रेड पे रू0 6600/7600 से प्रतिनियुक्ति या सेवानिवृत्त अथवा सैन्य सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी उम्र अधिकत् 65 वर्ष तक हो तथा वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हों (सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र के आधार पर), को पुनः सेवा में निम्न शर्तों के आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव है :-

- इन अधिकारियों को भुगतान शासन के पुनर्याजन सम्बन्धी वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83 दिनांक 15.12.1983 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। इसके अलावा इन्हें अन्य कोई भत्ता व सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- अधिकारी के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो।
- अधिकारी के विरूद्ध सेवा निवृत्ति के बाद कोई विभागीय कार्यवाही या केस व वसूली आदि न चल रही हो।
- पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता हो।

विशेषज्ञ पद

पोषण अभियान के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में 05 विशेषज्ञ पदों को अनुबन्ध पर रखे जाने की स्वीकृति दी गयी है, जो निम्नवत् हैं :-

- प्लानिंग, मानीटरिंग एवं इवैल्यूएशन-01 पद।
- हेल्थ तथा न्यूट्रीशन-01 पद।
- फाइनेंशियल मैंनेजमेन्ट-01 पद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

- कैपेसिटी बिल्डिंग तथा बिहेवियर चेन्ज कम्प्यूनीकेशन-01 पद।
- प्रोक्योरमेन्ट-01 पद।

योग्यता एवं कार्यक्षेत्र

उक्त पदों की योग्यता एवं कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देश के टर्म आफ रिफरेन्स (टी0ओ0आर0) में निर्धारित हैं, जिसके अनुसार इन पदों पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।

एकाउन्टेन्ट

भारत सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार प्रति 10 जनपद के आधार पर 01 एकाउन्टेन्ट के पद की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 75 जनपद प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 07 एकाउन्टेन्ट के पद की स्थिति होती है।

योग्यता एवं कार्यक्षेत्र

उक्त पदों की योग्यता एवं कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देश के टर्म ऑफ रिफरेन्स (टी0ओ0आर0) में निर्धारित हैं, जिसके अनुसार इन पदों पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।

प्रोजेक्ट एसोसिएट

भारत सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार प्रति 10 जनपद के आधार पर 01 प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 75 जनपद प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 07 प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद की स्थिति होती है।

योग्यता एवं कार्यक्षेत्र

उक्त पदों की योग्यता एवं कार्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देश के टर्म आफ रिफरेन्स (टी0ओ0आर0) में निर्धारित है, जिसके अनुसार इन पदों पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।

सेक्रेटरियल असिस्टेन्ट/डेटा एण्ट्री आपरेटर

भारत सरकार द्वारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में 02 पद सेक्रेटरियल असिस्टेन्ट/डेटा एण्ट्री आपरेटर की स्वीकृति दी गयी है। इन पदों के लिए निम्नवत् योग्यता निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है :-

- कम से कम 55 प्रतिशत् अंको के साथ 12वीं पास हो।
- स्नातक/परास्नातक योग्यता अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।
- टाइपिंग स्पीड- हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट।
- नाइलिट से जारी कोर्स ऑन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) अथवा इसके समकक्ष संस्था से जारी प्रमाण-पत्र।
- अंग्रेजी की अच्छी जानकारी व समझ हो।

कार्यक्षेत्रः टाइपिंग एवं डाक्यूमेन्टेशन।

पत्रवाहक/चपरासी

भारत सरकार द्वारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में पत्रवाहक/चपरासी के 02 पदों की स्वीकृति दी गयी है। इन पदों के लिए निम्नवत् योग्यता निर्धारित की गयी है :-

- कम से कम 8वीं पास हो।
- हिन्दी पढ़ने की योग्यता रखता हो।
- सायकिल चलाना जानता हो।

कार्यक्षेत्रः कार्यालय की आवश्यकतानुसार।

4- डिस्ट्रिक्ट को-आर्डीनेटर तथा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए 01 डिस्ट्रिक्ट को-आर्डीनेटर तथा 01 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट रखे जाने की स्वीकृति दी गयी है।

योग्यता एवं कार्यक्षेत्र

उक्त पदों की योग्यता एवं कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देश के टर्म ऑफ रिफरेन्स (टी0ओ0आर0) में निर्धारित हैं, जिसके अनुसार इन पदों पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- ब्लॉक को-आर्डीनेटर तथा ब्लॉक प्रोजेक्ट एसोसिएट

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के लिए 01 ब्लॉक को-आर्डीनेटर तथा 01 ब्लॉक प्रोजेक्ट एसोसिएट रखे जाने की स्वीकृति दी गयी है।

योग्यता एवं कार्यक्षेत्र

उक्त पदों की योग्यता एवं कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देश के टर्म ऑफ रिफरेन्स (टी0ओ0आर0) में निर्धारित हैं, जिसके अनुसार इन पदों पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।

6- चयन प्रक्रिया

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट एवं जनपद तथा ब्लाक स्तरीय हेल्प डेस्क हेतु पदों के सृजन तथा चयन के सम्बन्ध में राज्य पोषण मिशन/पोषण अभियान की 10वीं कार्यकारी समिति का अनुमोदन एवं निर्णय इस प्रकार लिया गया है :-

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2019 को राज्य पोषण मिशन/पोषण अभियान की कार्यकारी समिति की बैठक में पोषण अभियान के अन्तर्गत स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट एवं जनपद और ब्लॉक स्तरीय हेल्प डेस्क हेतु स्वीकृत पदों को निर्धारित सेवा प्रदाता एजेन्सियों आउटसोर्स संस्था के माध्यम से भरा जायेगा। उक्त पदों पर पात्र व्यक्तियां का चयन तकनीकी समिति, जिसमें निदेशक, राज्य पोषण मिशन के साथ टी0एस0यू0 के विशेषज्ञ सदस्य भी सम्मिलित किये जायेंगे, के माध्यम से किया जायेगा।

7- तैनाती अवधि

सेवा प्रदाता एजेंसी से चयनित अभ्यर्थी अपने योगदान के समय सम्बन्धित कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, समस्त सम्बन्धित योग्यता प्रमाण-पत्र तथा सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर तैनाती 31 मार्च 2020 तक के लिए किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अथवा भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार तैनाती अवधि बढ़ायी जा सकती है। कार्यहित में यदि ऐसा प्रतीत होता है कि चयनित अभ्यर्थी कुशलता के मापदण्ड पर कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे एक माह की अग्रिम नोटिस देकर कार्य से विमुक्त किया जा सकता है अथवा नियंत्रक अधिकारी अथवा जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा यदि कभी अभ्यर्थी की कार्यकुशलता अथवा गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो सेवा प्रदाता एजेंसी को प्रतिकूल टिप्पणी के 01 माह के अन्दर दूसरे अभ्यर्थी को चयनित कर भेजना होगा।

8- तकनीकी चयन समिति

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट एवं जनपद तथा ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों के चयन हेतु टी0एस0यू0 के स्तर पर तकनीकी समिति बनायी जायेगी, जिसमें निदेशक, राज्य पोषण मिशन के साथ टी0एस0यू0 के विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

9- वित्तीय उपाशय

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) एक वाह्य सहायतित परियोजना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत धनराशि आई0बी0 आर0डी0/एम0डी0बी0 (विश्व बैंक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। शेष 50 प्रतिशत में 60:40 के अनुपात में 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार केन्द्र सरकार से 80 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगी एवं राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत धनराशि वहन की जायेगी।

6- उक्त पदों के वेतन-भत्तों/पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा व्यय सम्बन्धी सदुपयोगिता प्रमाण पत्र समयानुसार भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-512/दस-2019 दिनांक 12 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-39/2019/440(1)/60-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

5- वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।